No. 2563 /CS/2014/GOI
Date 26 JUL 2014

सुधीर भार्गव
SUDHIR BHARGAVA
सचिव
SECRETARY
Tel. : 23382683, Fax : 23385180
E-mail : secywel@nic.in

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
Government of India
Ministry of Social Justice and Empowerment
Deptt. of Social Justice and Empowerment
Shastri Bhawan, New Delhi-110 001

D.O. No.17-8-2013-DP-II(Vol.II)

July 21, 2014

Dear Shri Dhand,

Kindly refer to letter No. 17-08/2013-DP-II dated 12th March 2014 addressed by the then Hon'ble Minister of Social Justice & Empowerment to the Chief Minister of your State enclosing therewith a copy of Report of the Expert Committee set up in the Ministry to make an in depth study of the problems being faced by the Transgender Community. It was requested that the report may be examined and suggestions/comments be furnished on the recommendations of the Committee. Recommendations of the Expert Committee are also available on Ministry's website at http://socialjustice.nic.in/-transgenderpersons.php.

2. Subsequently, after the Judgment dated 15.04.2014 **(http://judis.nic.in/supremecourt/imgs1.aspx?filename=41411)** delivered by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 400 of 2012, a D.O. letter dated 16.04.2014 was written to you requesting your comments on the report & recommendation of the Expert Committee in the light of paras 129 & 130 of the said Judgment. As you are aware, the Hon'ble Court, in para-129 of its judgment, had given directions (enclosed at **Annexure-I**) which are to be implemented by the Centre and the State Governments. The Hon'ble Court in para 130 of its judgment had further directed that the recommendations of the Expert Committee be examined based on the legal declaration made in the judgment and implemented within six months. A summary of conclusions and recommendations of the Expert Committee is enclosed at **Annexure-II**, for your ready reference.

3. The Hon'ble Court has given a [redacted]or implementation of above recommendations. Accordingly, the orders of Hon'ble Supreme Court have to be implemented by 14th October, 2014.

4. I shall be grateful, if you could look into the matter personally and inform this Ministry about the action taken by your State so far. I may also request you to give a specific time-frame by which the State Govt. will be able to implement the directions of the Hon'ble Supreme Court as well as the recommendations of the Expert Committee.

संयु.सचिव/उप सचिव/अवर सचिव

सचिव

With regards,

Yours sincerely,

(Sudhir Bhargava)

Shri Vivek Kumar Dhand,
Chief Secretary,
Government of Chhattisgarh,
Raipur – 492 001.

26 JUL 2014

ANNEXURE-I

DIRECTIONS OF SUPREME COURT IN WRIT PETITION NO. 400/2012

(i) Hijras, Eunuchs, apart from binary gender, be treated as "third gender" for the purpose of safeguarding their eights under Part III of our Constitution and the laws made by the Parliament and the State Legislature.

(ii) Transgender persons' right to decide their self-identified gender is also upheld and the Centre and State Governments are directed to grant legal recognition of their gender identity such as male, female or as third gender.

(iii) Centre and the State Governments to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments.

(iv) Centre and State Governments to operate separate HIV Sero-surveillance Centres since Hijras/ Transgenders (TGs) face several sexual health issues.

(v) Centre and State Governments should seriously address the problems being faced by Hijras/Transgenders such as fear, shame, gender dysphoria, social pressure, depression, suicidal tendencies, social stigma, etc. and any insistence for SRS for declaring one's gender is immoral and illegal.

(vi) Centre and State Governments should take proper measures to provide medical care to TGs in the hospitals and also provide them separate public toilets and other facilities.

(vii) Centre and State Governments should also take steps for framing various social welfare schemes for their betterment.

(viii) Centre and State Governments should take steps to create public awareness so that TGs feel that they are also part and parcel of the social life and be not treated as untouchables.

(ix) Centre and the State Governments should also take measures to regain their respect and place in the society which once they enjoyed in our cultural and social life.

****

TG. day
Sensitization?
Education
Employment
Sports competition

Chapter Thirteen
Summary of Conclusions & Recommendations

Definition of Transgender

1. The Committee recommends that the term 'transgender' (not trans*) will be used, as an inclusive term and will cover various gender identities and expressions, as described in paragraph 6 of chapter one. It will not be confined to any one of the specific socio-cultural identity groups, such as hijras, kothis, etc but will include all such persons who fall under the generic definition of transgender persons as follows:

> Transgender persons: All persons whose own sense of gender does not match with the gender assigned to them at birth. They will include trans-men & trans-women (whether or not they have undergone sex reassignment surgery or hormonal treatment or laser therapy, etc.), genderqueers and a number of socio cultural identities, such as kinnars, hijras, aravanis, jogtas, etc. The term 'transgender' shall be construed accordingly.

2. A compilation of all known transgender socio-cultural groups should be prepared & circulated for guidance of all concerned, with a disclaimer that the said compilation is "suggestive and not exhaustive and all such persons who qualify as transgender as per the generic definition above and pass the mandatory psycho social assessment (see paragraph 5 of Chapter Four) should be categorized as transgender persons." The criterion/test for qualifying as a transgender person will apply on individual basis and the fact such a person belongs to a known transgender socio-cultural group will act a corroborative evidence and not conclusive. As a starting point, a compilation of various transgender socio-cultural groups has been prepared by the Committee, based on available information, and is at Appendix-2.

3. The terms 'sex' and 'gender' should not be used interchangeably (as are often used presently) and only the term 'gender' should be used in various official documents including identity documents, application forms, returns, reports, etc.

Constitutional protection

4. In essence, the Constitution of India is 'sex blind', that is to say, the basic premise of equality before the law and equal protection of the law is based on a Constitutional mandate that the sex of a person is irrelevant save where the Constitution itself requires special provisions to be made for women.

199

5. A harmonious reading of the Constitutional provisions as well as the provisions of the Citizenship Act, 1955 and the General Clauses Act, 1897 Act would show that in fact there is no conflict or limitation imposed on the concept of 'person' by any of these laws and a Transgender person would undoubtedly fall within the definition of 'person'. It is evident that the Constitution of India guarantees right to equality and non-discrimination for all including transgender persons.

Transgender Identity

6. In this regard, the Committee recommends:

i) Transgender should be declared as the third gender, and a Transgender person should have the option to identify as 'man', 'woman' or 'transgender' as well as have the right to choose any of the options independent of surgery/hormones. Only the nomenclature 'transgender' should be used and nomenclatures like 'other' or 'others' should not be used.

ii) Certificate that a person is a transgender person should be issued by a state level authority duly designated or constituted by respective the State/UT on the lines of Tamil Nadu Aravanis Welfare Board, on the recommendation of a District level Screening Committee headed by the Collector/District Magistrate and comprising District Social Welfare Officer, psychologist, psychiatrist, a social worker and two representatives of transgender community and such other person or official as the State Govt/UT Administration deems appropriate.

iii) The certificate issued as at (ii) above should be acceptable to all authorities for indicating the gender on official documents like ration card, passport, birth certificate, aadhaar card, etc.

iv) The third 'gender' identity known as 'transgender' may be recognized by a Government order and for the long run; it may be examined whether a separate law will be desirable for this purpose.For this purpose, Government may refer the matter to the Law Commission.

Inclusive Approach

7. The genesis of the problems of Transgender persons in India lie in the stigma and discrimination they face in the society, resulting in their exclusion from socio-economic-political spectrum. They are one among the marginalized sections of the society. The solution of their problems will, therefore, require concerted efforts to mainstream them and adoption of an inclusive approach in all spheres of life.

8. The Committee is of the view that inclusive approach should be the bedrock of Government's strategy to mainstream the transgender Community. The Ministry of Social Justice & Empowerment should take up with all concerned Ministries/Departments of Government of India and State Governments to include development of transgender community in their policies, programmes and schemes.

Convergence Approach

9. The Twelfth Five Year Plan (2012-17); Social Sectors, Volume III has a section on transgender communities as follows:

"23.71. The Twelfth Plan proposes empowerment of the transgender community by advocating that line Ministries support their education, housing, access to healthcare, skill development, employment opportunities and financial assistance. Identification will be provided for transgendered persons in all Government and non-Government records by introducing a separate column to include the third gender. The Ministry of Social Justice and Empowerment along with the Ministry of Statistics and Programme Implementation will determine the number of transgendered persons in India, map their socio-economic status in order to create a law to protect interests of the community and improve their living conditions."

10. In keeping with above intent, the Committee recommends to the Ministry of Social Justice & Empowerment to seek convergence with other Ministries and their existing schemes for a more targeted and focused approach towards welfare of TG community, while considering an Umbrella Scheme for direct targeted intervention in certain areas.

11. Various Ministries/Departments of the Government of India are implementing a number of schemes which target a variety of beneficiaries. In most of such schemes, special emphasis is given to cover the weaker sections of the society and other disadvantaged groups. The Expert Committee is of the view that these schemes could be effectively utilized for providing benefits to such transgender persons who are eligible under those schemes. Some of such schemes/programmes are mentioned below (list is not exhaustive):

- MGNREGA
- National Rural Livelihoods Mission (NRLM) – AAJEEVIKA
- National Social Assistance Programme (NSAP)
- National Urban Livelihood Mission (NULM)
- Healthcare facilities
- Rashtriya Swasthya BimaYojana (RSBY)
- National Health Mission (NHM)
- National Policy on Skill Development, 2009
- Indira Awas Yojana

201

(6)

Addressing Stigma, Discrimination and Violence faced by Transgender People

Addressing stigma, discrimination and violence against gender-nonconforming and transgender children and adolescents:

12. *Families:* Awareness and information are needed for parents to support their gender-nonconforming or transgender children, setting aside their discomfort and deeply held normative attitudes. Such information could be made available in health settings (pediatrics, child-development specialties), as well as through educational institutions.

13. Counseling and other mental health services that affirm the child's gender identity are needed for the children and their parents alike. The model of parents' support groups facilitated by the Center for Counselling in Chennai and Swabhava in Bangalore may be examined for replication by government and civil society groups working for transgender welfare.

14. Besides a supportive family environment, gender-conforming and transgender youth need counseling and support for their self-stigma, and for coping with the trauma of violence and abuse. To cope up with trauma and violence crisis counseling services could be set on the model of RCICs (rape and crisis Intervention Centres). Such support could be made available in schools, through various child-welfare services, Childline services and through youth and suicide prevention helplines. Additionally, existing forums such as the Anganwadi Centres and Self-Help Groups may be oriented on transgender issues, and involved in providing information to parents of gender-nonconforming youth.

15. *Educational institutions:* Awareness of gender diversity and the need to safeguard transgender youth from hostile school environments is a dire need. The recommended interventions include formation of groups of transgender children for meetings, holding film screenings for sensitization of students and staff, setting up of resource centre, augmenting libraries with books and audio-visual materials on transgender issues, holding periodical sensitization events by collaborating with organisations working with transgender, and adopting policies for preventing sexual harassment and bullying of transgender children. Some schools in Tamil Nadu have initiated efforts in this direction by inviting transgender spokespersons and counselors to educate their students and staff. The Committee recommends that these recommendations may be studied by Governments and suitably adopted for creating a conducive environment for transgender children in educational institutions.

16. *Healthcare:* Interventions to reduce discrimination against transgender persons in the healthcare system have been described in Chapter 10. The authors emphasize here the need to prevent physical and psychological violence inflicted on gender-nonconforming and transgender children and adolescents through conversion therapy attempts such as electric shock treatment.

17. *Shelter and Residence:* While it is imperative that every effort be made to provide gender-nonconforming and transgender children safe residence within their natal homes, there is a need to ensure that short-stay homes, orphanages, adoption and fostering services are sensitive to the needs and concerns of such children. There is also a need for sensitization and capacity building of the caregivers for addressing the concerns of Transgender children in the institutional setting.

18. *Workplace:* In consultation with community groups and human resource professionals experienced in the area of Diversity and Inclusion, workplaces in public and private sector need to sensitize employers and employees on issues of transgender persons. Anti-discrimination policies must be instituted and meaningfully applied to the processes of hiring, retention, promotion, and employee benefits. Workplace sexual harassment policies should be made transgender-inclusive.

19. *Law and Law Enforcement:* The legal and law-enforcement systems need to be sensitized on issues of transgender people and be empowered to take actions such as:

- (i) Criminal and disciplinary action against delinquent police official in cases of violations of human rights of transgender persons.
- (ii) Taking action against parents who neglect or abuse their gender-nonconforming or transgender children and against doctors who practice electro-shock or other kinds of unethical "conversion" therapy.
- (iii) Making free legal aid available to transgender individuals seeking redress against discrimination and violence.
- (iv) Where transgender individuals need to be incarcerated, care must be taken to ensure they are not in circumstances where they are vulnerable to sexual assault.
- (v) Sexual assault, sexual harassment and domestic violence laws must be made transgender-inclusive. Presently, Section 375 of IPC, as amended doesn't cover the transgender persons as victims of sexual assault (only cis women can be the victims of sexual assault). Alongside Section 375, another section should be included to cover the cases of sexual assault on transgender persons.
- (vi) Slurs based on real or perceived gender identity may be included in Section 153A of the Indian Penal Code.
- (vii) Bureau of Police Research & Training (BPR&D) may undertake a study on crime against transgender persons, including alleged excesses by Police, with a view to investigate their causes and suggest preventive measures.
- (viii) National Crime Records Bureau may, from now on, collect and compile statistics of crime against transgender persons, as also about cases registered against them as accused.

20. For the long run, the possibility of a law to prevent discrimination and atrocities may be considered.

21. *Social Welfare:* Policy and institutional reforms that enable access to social protection schemes, targeting the poor and other at-risk groups, must be made transgender inclusive.

22. *Community strengthening and involvement:* The capacity of community organizations to monitor, document and respond to discrimination and human rights violations must be strengthened. Training in legal literacy, and public speaking for advocacy are needed. Transgender representation in dialogues around social and legal protection, policy and legal reform, and public sensitization is necessary.

205

23. *Housing:* Given the poverty experienced by many transgender people, and discrimination encountered in finding housing, it is imperative that the Ministries of Rural Development and that of Housing and Urban Poverty Alleviation ensure that housing assistance schemes help transgender people to obtain non-discriminatory and safe housing.

24. *Media and Society:* Transgender human rights issues must be highlighted in the media and other public forums so as to improve public awareness, and increase transgender people's ability to realize those rights. Stigmatizing coverage in the media must be curbed.

Elderly Transgender People

25. There is a need for pension scheme for elderly transgender people regardless of gender assigned at birth, adopting a model such as that available for MtF transgender people in Tamil Nadu, as well as non-discriminatory and affordable housing schemes.

Suggested Approach to Mainstream Transgender People with Education System

26. There is an urgent need for addressing the community's concerns in education sector in a holistic way that implies giving attention to Access, Equity, Environment and Employment. Addressing stigma and discrimination at early stage will help in bringing transgender children to school and retaining them upto the higher level. The following strategies can be considered:

- Ensure equal access to educational opportunities at all levels without stigma and discrimination: Affirmative actions are needed to reduce stigma and discrimination associated with the community. Schools and colleges need to play a supportive role in such instances. There has to be proper sensitization of society in general and particularly parents, teachers and students.

- The fulfillment of the obligations under Right to Education (RTE) Act is critical for the improvements in the educational conditions of transgender community.

- Enhance understanding on transgender issue: Better understanding of socio-cultural and human rights aspects would help in attitudinal shift towards the transgender community.

- Dropout of transgender persons from schools - not by choice but by force: Dropout has to be seen from different perspective. The transgender persons do not dropout from schools not by choice but by force due to acute discrimination and abuse. The perception of dropout may require review and reform of structural constraints, legal procedures and policies that impede access to mainstream education.

- Ensure safety of transgender children in educational institutions: Transgender children face physical, mental and emotional violence forcing them to leave. Proper mechanism has to be evolved to ensure their safety. This also requires fixing the responsibility.

- Sensitization towards transgender community should be an integral part of student counselling at schools. The transgender persons also feel that their student community should be given adequate opportunity to interact with trained counsellors as they undergo a lot of gender dilemmas.

(9)
204

- Contents on transgender can be included in the curriculum of adolescent education in schools to sensitize children. This can become an effective step to address the stigma/discrimination at schools.

- Activities organized at schools to be inclusive to ensure participation of all children. This will enable other children to understand better and give space for the transgender children in their friendship. School Management Committee (SMC) members in their training programmes should include separate sessions on the issues/challenges faced by transgender. SMC members should also talk to community members to create greater awareness.

- Mainstreaming of transgender persons can also be done by institutions and individuals working in the education sector, particularly NGOs and activists through advocacy and capacity building.

- Review the existing schemes (Education and Training): Educational and training schemes/programmes like Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA), Jan Shikshan Sansthan (JSS) at various levels i.e. primary, secondary and senior level need to be reviewed to include the concerns of transgender persons. M/o Human Resource Development (MHRD) may take up this with the States. MHRD through National Council for Teacher Education may take up sensitization of teachers through a series of training programmes for which a separate module can be prepared. Since SSA is a vehicle for implementation of RTE Act, as per the mandate all children 6-14 years of age have a right to education. States can include transgender children among disadvantaged groups so that they are also admitted in private schools under section 12(1) (c) of the RTE Act.

- There is a need to harmonize different schemes available for children to make them suitable and accessible to transgender children. The Juvenile Justice Act (JJA) should also address the concerns of transgender children and should be suitably modified/amended.

- Development of community friendly customized pedagogy for skill based learning: Vocational skill development training should be provided to the community for introduction of new skills or providing additional skills for those who have skill in a particular vocation which can enable them to look for better job opportunities and economic empowerment. The tailor-made skill based training programmes need to be developed with the help of Jan Shikshan Sansthans, NSDC and lifelong learning programmes of universities and colleges.

- Financial incentives/scholarship for the transgender persons: Government should provide scholarship/entitlements, fee-waiver, free textbooks, free hostel accommodation and other facilities at subsidized rates for students belonging to this group.

- Establishment of anti-discrimination cell: All the educational institutions/universities should establish an anti-discrimination cell to monitor any form of discrimination/harassment against the transgender students.

- Create an enabling environment: There is a need to work closely with community and different school based committees like School Management Committee (SMC), village management committee as recommended under the RTE Act.

205

- Section 317 of the IPC: Abandonment of child is a punishable offence under Section 317 of the IPC if the child is abandoned under the age of twelve years. However, the abandonment of transgender children takes place usually between the age of twelve & eighteen years. The Ministry of Home Affairs (MHA) may be requested to consider enhancing the age of child for this offence to eighteen years.

- Research: Generate more data/information to identify and understand the problems related to various aspects of their life and help frame policies through research and academic programme that would bring an effective and long-term change in their lives.

Suggested Approach for Improving Employment opportunities for transgender persons

27. Following approach is suggested:

Create opportunities for Information and counselling

- Establish Helpline for Career Guidance, Promotion and online Placement Support

- Capacity Building and Entrepreneurship Development

- Liberal credit facilities and other needed support for economic activities

- Provision of social entitlement to the community

- Convergence with existing schemes of Ministry of Social Justice & Empowerment (MSJE): MSJE may explore the possibility of widening the mandate of one of the Corporations for providing the economic support to transgender community.

- Vocational Skill Building: Design customized vocational training programmes for the transgender community as per their needs and interest and establish effective linkages with vocational training centers run by private and government agencies.

- Create a supportive Environment: The efforts should be made to sensitize all concerned stakeholders like government officials in relevant departments, banks, private employers, corporate, community leaders like Gurus.

- Convergence with existing schemes: Mention of transgender community across all existing schemes specially centrally sponsored schemes like National Livelihood Mission, NREGA, NFDC will help in giving them due recognition.

- Adopt good model/intervention: There are some good models like Transgender Welfare Board in Tamil Nadu which helps through Self-Help Groups for economic security of this community. The Board provides 25% subsidy to such SHGs for starting self-employment. The proven models can be adopted by other States also.

Transgender Adolescents, Youth and Young Adults

28. The international and therefore the nationally accepted formula for looking at issues pertaining to children, adolescents and young adults remains the best interests of the child, in

the expectation that no child, adolescent or young adult is allowed to fall through the cracks. The right to education framework entitles that they stay in schools which have a supportive and nurturing environment, with adequate training and protection given to the system to ensure that the high instances of reported bullying, abuse and coercion into accepting forced gender roles are removed from that young person's life. World over, in countries where research and studies have been done, there is documented evidence that young transgenders are at considerable risk to many things – loss of family, loss of education, bullying, depression, assault, violence and the risk of suicide because supporting frameworks do not exist or because they are unable to access it.

29. The Medical Council of India along with leading mental health institutions and organizations working on transgender issues should develop practice protocols for the care of transgender adolescents/ youth under the age of 18. This would also involve development of detailed protocols for counseling of family members of adolescents and SRS related guidelines for adolescents. It is also pertinent to note that in India, for any surgery to be done on an individual, the age of consent for that person is 18 years, and if younger, parental/ guardian consent is necessary. International guidelines and best practices lessons learned will also help our country achieve this standard when setting the age threshold. Some of the other issues are:

- Deliberately incorrect and disrespectful use of names and pronouns
- Lack of access to appropriate restroom facilities
- Privacy and Confidentiality
- Highest standards of health care – including psycho
- Lack of role models; lack of accurate information
- Transgender awareness training for faculty, staff, and administrators from a qualified community-based trainer

Access to Healthcare: General Health Services (Physical/Mental), and Gender Transition Services (including Sex Reassignment Surgery)

Improving access to and use of general health services for male-to-female transgender people

30. All public hospitals need to have hospital policies on registration and admission of transgender people, training and sensitization of the health care providers about transgender people and their health issues, and the need to educate the general public (here, co-patients and relatives/care-givers in hospitals) about transgender people.

31. As a transgender person can be a sex worker and HIV-positive, within the health care settings, steps need to be taken to decrease stigma faced by transgender people in relation to these intersecting stigmas (stigma related to being transgender, sex work and HIV status).

207

Improving access to and use of gender transition-related health services for transgender people

32. The common gender transition-related service needs of transgender people are summarized in the Table below:

Table 10.1: Gender transition-related needs of transgender people

Gender transition-related needs	MtF transgender people	FtM transgender people
Common needs	• Proper counselling about options available in relation to gender transition • Proper post-operative follow-up counselling and support	
Types of surgical procedures required	• Neovagina creation (construction of a vagina) • Penectomy (removal of the penis) • Orchidectomy (removal of the testes) • Clitoroplasty (construction of a clitoris) • Breast augmentation (breast enlargement) • Rhinoplasty (reshaping the nose) • Hair transplants	• Bilateral mastectomy (removal of the breasts) • Hysterectomy (removal of the uterus) • Oophorectomy (removal of the ovaries) • Phalloplasty (construction of penis)
Types of non-surgical procedures required	• Female hormone therapy • Hair removal: Electrolysis and laser therapy • Voice modulation: Vocal therapy	• Male hormone therapy • Voice modulation: Vocal therapy

33. The following recommendations are made for consideration of the Ministry of Health:

1. To prepare a policy statement (and/or an executive government order) on providing essential gender transition services, including SRS, in suitable public hospitals
2. To prepare national clinical guidance (standards of care) document in line with the international WPATH guidelines
3. To provide penectomy/orchidectomy (removal of male external genitalia) for people who are confirmed to be '[MtF] transgender people', based on clinical diagnostic criteria

4. To prepare policy guidelines for providing gender transition services in public hospitals (e.g., which hospitals, whether gender transition services will be free or subsidized)
5. To train relevant health care providers on offering gender transition services
6. To develop national guidelines on clinical management of people with intersexed conditions (now called 'Disorders of Sex Development')

Enabling better understanding and enhancing competency among health care providers (HCPs) in dealing with some transgender-specific health issues

34. To improve better understanding of the health issues of transgender people and to make health care settings welcoming and non-discriminatory, the following steps need to be taken:

- Curriculum and Training on transgender health
- Transgender-friendly hospital policies/guidelines
- Non-discrimination policy/guidelines
- Research and evidence-base to promote transgender health

The Role of Ministry of Social Justice & Empowerment (MSJE)

35. The Department of Social Justice & Empowerment in the Ministry of Social Justice & Empowerment should be the nodal agency of the Government of India for the transgender persons. The Department of Social Justice & Empowerment should coordinate with various line Ministries/Departments of the Government of India and State Governments for ensuring welfare measures for the transgender persons.

36. For the above purpose, the Ministry may set up a Standing Coordination Mechanism in the form of an Inter-Ministerial Committee comprising representatives of Ministries of Social Justice & Empowerment, Human Resource Development, Health & Family Welfare, Housing & Urban Poverty Alleviation, Rural Development, Labour & Employment and the Department of Financial Services. The Committee may also associate representatives of State Governments by rotation, representing different regions of the country. The representatives of the transgender community and experts may also be included as members of the Committee or be invited as special invitees. This Committee should ensure preparation of time bound action plans by all concerned Ministries, monitor their implementation status and suggest measures for removing bottlenecks, if any, encountered during their representation.

37. A National Council for Transgender Persons may also be considered on similar lines as that of the National Council for Senior Citizens.

38. With a view to ascertain a quick estimate of the population of transgender persons in the country as also their socio-economic condition; the Ministry may, in collaboration with the Ministry of Statistics & Programme Implementation, carry out a survey. This may also

209

help the concerned Ministries in preparing appropriate schemes for improvement of their socio-economic status. This is also mentioned in the Twelfth Five Year plan document.

39. To begin with, the Ministry may consider launching an Umbrella Scheme for the benefit of transgender persons with following components:

(i) Scholarship for transgender persons on the lines of similar scholarship schemes for SC students;

(ii) Loan with 25% subsidy for transgender persons to enable them to take up self-employment ventures;

(iii) A pension scheme for transgender persons above 40 years up to 60 years, who for some reasons cannot be assisted under any scheme of economic empowerment, for ensuring financial security; and

(iv) Grant-in-aid to Voluntary and other Organizations working for Empowerment of Transgender People, particularly for providing them vocational training.

40. As discussed in Chapter seven, the press and media have to play an important role in sensitizing the society and families on the issues of transgender persons. The Ministry, in concert with the Ministry of Information & Broadcasting, may carry out an intensive publicity campaign for this purpose.

******

(15)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर–492002

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक सितंबर, 2014

क्रमांक एफ 1–2/2014/1/एक :: राज्य शासन एतद्द्वारा, रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 400/2012, नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2014 के अनुपालन में **"तृतीय लिंग"** समुदाय के व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण एवं कल्याण कार्य हेतु विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों/योजनाओं के पर्यवेक्षण के लिए **"समाज कल्याण विभाग"** को नोडल विभाग घोषित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के0आर0 मिश्रा)
अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,

J.S./ निर्मातृ
Pl. put up.
11-09-14

पृ0क्रमांक एफ 1–2/2014/1/एक, नया रायपुर, दिनांक 11 सितंबर, 2014

प्रतिलिपि:–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन।
2. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, मंत्रालय, शास्त्री – भवन, नई दिल्ली–110001.
3. माननीय राज्यपाल, छत्तीसगढ़, के प्रमुख सचिव, राज भवन, रायपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़।
5. आयुक्त जनसंपर्क, छत्तीसगढ़ रायपुर।

क्रमांक 265 सचिव/2011
म.बा.वि./समाज कल्याण विभाग
दिनांक 11.09. 2011

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,

16

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक / /2056/2014/25–1, रायपुर, दिनांक /10/2014

प्रति,

अवर सचिव,
छ.ग. शासन,
मुख्य सचिव कार्यालय,
नया रायपुर (छ.ग.)

विषयः– मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क. 400/2012 मे पारित निर्णय दि. 15.04.2014 के परिपालन हेतु।

संदर्भः– आपका पत्र कमांक एफ/6–32/2012/सं.क./26, दिनांक 29.09.2014

–00–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करे। तदनुसार विभागीय पत्र कमांक /2056/2014 /25–1, दिनांक 04.10.2014 द्वारा विभागाध्यक्ष की ओर रिट पिटिशन (सिविल) कं. 400/2012 विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में तृतीय लिंग समुदाय के संवैधानिक अधिकारों एवं उत्थान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं को कियान्वित किये जाने हेतु निर्देशित जारी किये गये है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

संलग्न– यथोपरि।

(डी.डी.कुंजाम)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथा अनु.जा.वि.वि

क्रमांक/7458/2056/2014/25–1, रायपुर, दिनांक 4 OCT 2014

प्रतिलिपिः–

सचिव, छ.ग. शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर आपके पत्र दिनांक 30–09–2014 के संदर्भ में विभागीय पत्र दिनांक 04–10–2014 की छायाप्रति सूचनार्थ प्रेषित।

सयु.सचिव/उप सचिव अवर सचिव

सचिव

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथा अनु.जा.वि.वि

(17)

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

- 4 OCT 2014

रायपुर, दिनांक 04/10/2014

क्रमांक/7496/2056/2014/25—1,

प्रति,

आयुक्त,
आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
रायपुर (छ.ग.)

विषयः— मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क. 400/2012 मे पारित निर्णय दि. 15.04.2014 के परिपालन हेतु।

संदर्भः— विभागीय पत्र कमांक 7492/आर—2056/2014/25—1, दिनांक 01.10.2014

—00—

विषयांतर्गत रिट पिटिशन (सिविल) क. 400/2012 विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में तृतीय लिंग समुदाय के संवैधानिक अधिकारों एवं उत्थान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं को कियान्वित किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करे—

1. विभागीय संस्थाओं में प्रवेश के समय तृतीय लिंग के व्यक्तियों को उनकी इच्छानुसार पुरूष/महिला/तृतीय लिंग चयनित करने का अधिकार होगा।
2. तृतीय लिंग के व्यक्तियों को विभागीय योजना के अंतर्गत निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, छात्रावास सुविधा, गणवेश आदि उपलब्ध कराया जावे।
3. तृतीय लिंग के विद्यार्थियों हेतु छात्रावासों में कक्ष एवं टायलेट पृथक से चिन्हित किये जावे।
4. तृतीय लिंग के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का न होने की स्थिति में पिछड़ा वर्ग के अनुरूप छात्रवृत्ति प्रदान की जाये।
5. तृतीय लिंग के व्यक्तियों के साथ शैक्षणिक संस्थाओं में किसी प्रकार का भेदभाव न हो इस हेतु विद्यालयों में भेदभाव निगरानी समिति का गठन किये जावें।
6. शैक्षणिक संस्थाओं में ट्रांसजेण्डर बच्चों का समूह बनाना, पुस्तकालयों में ट्रांसजेण्डर विषय पर पुस्तके रखा जाना तथा स्टाफ एवं छात्रों का फिल्म के माध्यम से संवेदीकरण किया जावे।
7. उनके केरियर गाईडेन्स के लिए हेल्पलाईन एवं आन लाईन नियोजन हेतु सहायता प्रदान की जावे।

(के. मुरूगन)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथा अनु.जा.वि.वि

(2) (18)

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्र एफ 6–32/2012/स.क./26 नया रायपुर, दिनांक 4th oct 2014

प्रति,

संचालक,
समाज कल्याण,
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषयः– माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए काउंसलिंग सेवा प्रदाय करने बाबत।

आपको विदित ही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 400/2012 के परिपेक्ष्य में 15 अप्रैल, 2014 को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है, जिसमें तृतीय लिंग वर्ग की दयनीय स्थिति को सुधारने, समाज में उचित स्थान दिलाने एवं शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निर्देश जारी किये गये है।

2/ उपर्युक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के सुझावों को निर्णय के परिपेक्ष्य में परीक्षण करते हुए छः माह के अन्दर क्रियान्वित करने के निर्देश दिये है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2014 तक क्रियान्वयन की जानकारी चाही गई है।

3/ शासन के निर्देशानुसार केन्द्र शासन द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के अनुरूप निम्नानुसार कार्यवाही की जानी हैः–

"शारीरिक एवं मानसिक अत्याचार की स्थिति में नियमित काउंसलिंग सेवा प्रदान करने हेतु केन्द्र स्थापित किये जाए।"

4/ प्रदेश के 9 जिलों में जिला निःशक्तजन पुनर्वास केन्द्र (DDRC) संचालित हैं, जिनके माध्यम से सभी संभागों में नियमित काउंसलिंग केन्द्र प्रारंभ किए जाए, जहां शारीरिक एवं मानसिक अत्याचार की स्थिति में नियमित रूप से काउंसलिंग की सेवाएं उपलब्ध हो सके।

इन निर्देशों का पालन तत्काल किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

4.10.14
(दिनेश श्रीवास्तव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

पृ.क एफ 6–32/2012/स.क./26 नया रायपुर, दिनांक 4 . 10 . 2014

प्रतिलिपिः

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
2. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त संचालक/ उप संचालक, रायपुर/सरगुजा/जगदलपुर/दुर्ग/ बिलासपुर की ओर तत्काल कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4.x.14

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

समाज कल्याण विभाग

(20)

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 6–32/2012/स.क./26, नया रायपुर, दिनांक 01 /10/2014

प्रति,

संचालक,
समाज कल्याण संचालनालय,
रायपुर.

विषयः– तृतीय लिंग व्यक्तियों के हितों के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान का प्रावधान।
सन्दर्भः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 400/2012 में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 400/2012 के परिप्रेक्ष्य में 15 अप्रैल, 2014 को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है, जिसमें तृतीय लिंग वर्ग की दयनीय स्थिति को सुधारने, समाज में उचित स्थान दिलाने एवं शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

2/ उपर्युक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के सुझावों को निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करते हुए छः माह के अन्दर क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 तक क्रियान्वयन की जानकारी चाही गई है।

3/ माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार तृतीय लिंग वर्ग के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान का प्रावधान किया जाना है, इस हेतु समाज के पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को पूर्व से ही अनुदान दिया जाता है। इस सम्बन्ध में पूर्व से जारी प्रपत्र एवं नियम निर्देश यथावत रहेंगे जिससे तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान हेतु तत्काल कार्यवाही की जा सके।

4/ कृपया की गई कार्यवाही से अवगत करायें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(signature)

(दिनेश श्रीवास्तव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

संयु. सं. (स.क.)
9
1.10.14

(21)

पृ0कमांक एफ 6–32/2012/स.क./26, नया रायपुर, दिनांक /10/2014

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर,
2. अवर सचिव, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

(22)

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्र एफ 6-100/2014/मबावि/50 नया रायपुर, दिनांक 01-10-2014

प्रति,

1. समस्त जिला कार्यकम अधिकारी/
   जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
   छत्तीसगढ़
2. समस्त एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी,
   छत्तीसगढ़

विषयः— आंगनबाड़ी केन्द्र एवं स्व सहायता समूह के माध्यम से तृतीय लिंग के बच्चों के माता–पिता तक पहुंच बनाया जाना।

संदर्भः— माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका कं. 400/2012 में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देश।

—

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 400/2012 के परिपेक्ष्य में 15 अप्रैल, 2014 को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है, जिसमें तृतीय लिंग वर्ग की दयनीय स्थिति को सुधारने, समाज में उचित स्थान दिलाने एवं शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निर्देश जारी किये गये है।

2/ उपर्युक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के सुझावों को निर्णय के परिपेक्ष्य में परीक्षण करते हुए छः माह के अन्दर क्रियान्वित करने के निर्देश दिये है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2014 तक क्रियान्वयन की जानकारी चाही गई है।

3/ भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों में डर, शर्म, सामाजिक दबाव, हताशा, आत्मघाती प्रवृत्ति एवं सामाजिक पृथकता जैसी गंभीर समस्याएं विद्यमान होती हैं। इस हेतु यह आवश्यक है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से ऐसे तृतीय लिंग के बच्चों को न केवल पूरा समर्थन दिया जाए बल्कि समाज में उचित स्थान भी दिलाया जाए। इस हेतु आवश्यकता इस बात की है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से तृतीय लिंग के बच्चों के माता–पिता तक पहुंच बनाया जाए एवं उन्हें इस बात की समझाईश दी जाए कि वे अपने बच्चों में हताशा एवं आत्मघाती प्रवृत्ति न आने दें। ऐसे अभिभावकों को लगातार समझाईश ही एक ऐसा माध्यम हो सकता है जिससे इस वर्ग के बच्चों को पर्याप्त प्रोत्साहन देकर उनमें

अधिकाधिक आत्मविश्वास पैदा किया जा सकेगा और समाज में भी उन्हें अन्य बच्चों जैसा ही प्यार एवं सुरक्षा की भावना दी जाए।

4/ इस संबंध में पर्यवेक्षकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक में इस विषय पर न केवल निर्देश दें बल्कि तृतीय लिंग वर्ग को समाज में उचित स्थान दिलाने एवं शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए समस्त आवश्यक प्रयास किए जाए। जिला स्तरीय बैठकों में भी इस विषय को एक स्थायी विषय के रूप में शामिल किया जाए जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों एवं भावनाओं के अनुरूप तृतीय लिंग व्यक्तियों हेतु ठोस कार्यवाही कर उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाया जा सके।

कृपया की गई कार्यवाही से हमें अवगत कराएं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

/

(दिनेश श्रीवास्तव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ.क एफ 6-100/2014/मबावि/50 **नया रायपुर, दिनांक 01-10- 2014**

प्रतिलिपिः

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
2. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, समाज कल्याण, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. संचालक, महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़, नया रायपुर की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश के साथ।
6. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

(5) (२५)

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक : 7062/3687/18/2014 रायपुर, दिनांक 20/08/2014

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, रायपुर
पंजी क्रमांक ...1165 SW/26/........
दिनांक ......25/08/........2014

विषय :— रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य।

संदर्भ :— आपका पत्र क्रमांक 6—32/2012/सक/26, दिनांक 01.08.2014

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत न्यायालयीन प्रकरण में मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देश के अनुपालन में तृतीय लिंग के लिए विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 02.07.2014 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

(एल. डी. चौपड़े)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

उ. सचिव / उप सचिव / अवर सचिव

S.W. 21.8.14

D:\Shriwastav letter\prarup.doc

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन और विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र./न्याया./सु.कोर्ट / 133/2014 रायपुर, दिनांक 02/07/14

प्रति,

1. समस्त आयुक्त
   नगर पालिक निगम
2. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी
   नगरपालिका परिषद
3. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी
   नगर पंचायत
   छत्तीसगढ़

विषयः– **समाज के तृतीय लिंग समुदाय को नागरिक सेवाओं के संबंध में।**

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि रिट पिटीशन सिविल क्र. 400/2012 विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा समाज द्वारा तृतीय लिंग समुदाय के संवैधानिक अधिकारों को मान्यता दी गई है तथा न्यायालय द्वारा कुछ विशेष निर्देश पालनार्थ दिये गये है जो निम्नानुसार हैः–

क्र.	आदेश	अपेक्षित कार्यवाही
1	Hijras, Eunuchs, apart from binary gender, be treated as "third gender" for the purpose of safeguarding their rights under Part III of our Constitution and the laws made by the Parliament and the State Legislature.	(1) निकाय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली नगर पालिक सेवाओं में तृतीय लिंग के समुदाय को भी शामिल किया जावे एवं उनकी शिकायतों आदि पर सामान्य नागरिकों के रूप में कार्यवाही की जावे। (2) नगरीय निकाय की नागरिक सेवाओं से संबंधित सभी फार्म/प्रारूप में लिंग के विरूद्ध तीन विकल्प दर्शाए जावे– पुरूष (M); महिला (F); तथा तृतीय लिंग (X)
2	Transgender persons right to decide their self-identified gender is also upheld and the Centre and State Government are directed to grant legal recognition of their gender identity such as male, female, or as third gender.	सर्वे आदि के समय तृतीय लिंग के व्यक्ति का यह अधिकार होगा कि वह स्वयं को पुरूष, महिला या तृतीय लिंग के रूप में चिन्हांकित करें ।

3	We direct the Centre and the State Governments to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases or admission in educational institutions and for public appointments.	तृतीय लिंग को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग माना जावेगा तथा उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा नियुक्तियों में तदानुसार आरक्षण की सुविधा प्राप्त होगी।
4	Centre and State Government are directed to operate separate HIV Sero-surveillance centres since Hijras/ Transgenders face several sexual health issues.	तृतीय लिंग के व्यक्तियों की अनेक यौन–स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है जिसके लिए शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों में उनके लिए पृथक HIV Sero-Surveillance केन्द्र / कक्ष स्थापित की जावे ।
5	Centre and State Governments should seriously address the problems being faced by Hijras/Transgenders such as fear, shame, gender, dysphoria, social pressure, depression, suicidal tendencies, social stigma, etc. and any insistence for SRS for declaring one's gender is immoral and illegal.	तृतीय लिंग के व्यक्ति भय, संकोच, सामाजिक दबाव, ड्रीप्रेशन, आत्महत्या की प्रवृत्तियां सामाजिक बहिष्कार आदि के शिकार होते है। इन पर लिंग प्रमाणिकरण आदि के लिए दबाव बनाना अनैतिक और अवैधानिक होगा।
6	Centre and State Governments should take proper measures to provide medical care to TGs in the hospitals and also provide them separate public toilets and other facilities.	नगरीय निकायों द्वारा निर्मित की जाने वाली भवनों में तथा सार्वजनिक भवनों को भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए पृथक शौचालयों का प्रावधान अनिवार्य रूप से हो।
7	Centre and State Governments should also take steps for framing various social welfare schemes for their betterment.	तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए हितग्राही मूलक योजनाएं बनाई जावे।
8	Centre and State Governments should take steps to create public awareness so that TGs will feel that they are also part	निकायों को जन जागरण अभियान के माध्यम से यह सुनिश्चित करना होगा कि तृतीय लिंग के समुदाय को अछूत न माना जावे तथा उन्हें समाज में सम्मान से

	and parcel of the social life and be not treated as untouchables.	जीने का अवसर प्राप्त हो
9	Centre and State Governments Should also take measures to regain their respect and place in the society which once they enjoyed in our cultural and social life.	निकायों को अपने स्तर पर यथासंभव पहल करनी होगी ताकि तृतीय लिंग के समुदाय को हमारी प्राचीन संस्कृति और सामाजिक जीवन में प्राप्त सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो सके।

उपरोक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें। अपने अधिनस्थ समस्त शाला के प्राचार्यो तथा चिकित्सालयों के प्रभारियों को भी आवश्यक निर्देश जारी करें तथा इस संबंध में प्रगति की सत्त समीक्षा करें।

(आर. पी. मण्डल)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
रायपुर, दिनांक 02 /07/ 2014

पृ. कमांक : न्याया/सु. कोर्ट/133/2014
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
4. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंद्रावती भवन, संचालनालय, नया रायपुर।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

D:\Shriwastav letter\prarup.doc

छत्तीसगढ़ शासन
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 07/10/2014

कमांक एफ 10–65/2014/जन.नि./42

प्रति,

1. आयुक्त–सह–संचालक,
   रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय,
   इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. आयुक्त–सह–संचालक,
   तकनीकी शिक्षा संचालनालय,
   इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

विषय :– माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिये विभिन्न कल्याणकारी निर्देशों को जारी कर कियान्वयन किया जाना।

संदर्भ :– (1) इस विभाग के पत्र कमांक एफ 10–65/2014/जनि/42 दिनांक 01.9.2014
(2) मुख्य सचिव के पत्र कमांक एफ 6–32/2012/स.क./26 दिनांक 29.09.2014

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित कमांक (1) के द्वारा सचिव, समाज कल्याण विभाग से प्राप्त टीप एवं उसके साथ संलग्न सहपत्रों की प्रति सहित विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक प्रस्ताव चाहा गया था, जो आदिनांक तक अपेक्षित है।

विषयांतर्गत संदर्भित कमांक (2) के द्वारा मुख्य सचिव महोदय का यह निर्देश प्राप्त हुआ है कि दिनांक 10 अक्टूबर 2014 तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना है। अतः सक्षम अनुमोदन प्राप्त कर 4 अक्टूबर, 2014 तक समुचित निर्देश जारी कर प्रतिलिपि प्रेषित करने का निर्देश है। अतः सक्षम अनुमोदन प्राप्त कर दिशा निर्देश की प्रति समाज कल्याण विभाग को तत्काल **आजही** प्रेषित कर इस विभाग को भी सूचित करें।

(याकुब खेस्स)
उप सचिव

नया रायपुर, दिनांक 07/10/2014

पृ. कमांक एफ 10–65/2014/जन.नि./42

प्रतिलिपि :–

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर उनकी टीप दिनांक 18.9.2014 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 30.9.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

सयु.सचिव/उप सचिव अवर सचिव

(याकुब खेस्स)
उप सचिव

सचिव

(7) (२९)

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
Indravati Bhawan, 3rd & 4th Floor, Naya Raipur (Chhattisgarh)
इंद्रावती भवन, तृतीय एवं चतुर्थ तल, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)
Phone : 0771- 2331341, Fax : 0771-2331331, Website : http://www.cgdteraipur.ac.in

क्रमांक/पीए/त.शि/2014/687 — दिनांक 07.10.2014

प्रति,

श्री एस.एस. भगत
संयुक्त संचालक (रोजगार पक्ष)
संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण
छत्तीसगढ़, रायपुर।

विषय :- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिये विभिन्न कल्याणकारी निर्देशों को क्रियान्वयन हेतु जारी किया जाना।

संदर्भ :- 1- मुख्य सचिव महोदय का विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 29.09.2014 (छायाप्रति संलग्न)
2- छ.ग.शासन का पत्र क्रमांक एफ 6-32/2012/स.क्र./26 दिनांक 30.09.2014

-00-

विषयांतर्गत लेख है कि ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों के केरियर गाईडेंस के लिए हेल्पलाईन बनाये जाने हेतु तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इसी प्रकार ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों के ऑनलाईन नियोजन के लिए विभाग द्वारा संचालित पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान सम्मिलित करें।

आपके स्तर पर कृत कार्यवाही से 03 दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

आयुक्त-सह-संचालक
रोजगार एवं प्रशिक्षण
दिनांक 07.10.2014

पृ.क्रमांक/पीए/त.शि/2014/687-ए

प्रतिलिपि :-

1- सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2- सचिव, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

सयु.सचिव/उप सचिव अवर सचिव
सचिव

आयुक्त-सह-संचालक
रोजगार एवं प्रशिक्षण

30

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
Indravati Bhawan, 3rd & 4th Floor, Naya Raipur (Chhattisgarh)
इंद्रावती भवन, तृतीय एवं चतुर्थ तल, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)
Phone : 0771-2331341, Fax : 0771-2331331, Website : http://www.cgdteraipur.ac.in

क्रमांक/पीए/त.शि/2014/689 दिनांक 07.10.2014

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेवलोपमेंट अथारिटी
छत्तीसगढ़, रायपुर।

विषय :- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिये विभिन्न कल्याणकारी निर्देशों को क्रियान्वयन हेतु जारी किया जाना।

संदर्भ :- 1- मुख्य सचिव महोदय का विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 29.09.2014 (छायाप्रति संलग्न)
2- छ.ग.शासन का पत्र क्रमांक एफ 6-32/2012/स.क्र./26 दिनांक 30.09.2014

-00-

संदर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि पत्र में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। आपके द्वारा कृत कार्यवाही से शासन को तथा संचालनालय को अवगत करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

आयुक्त-सह-संचालक

पृ.क्रमांक/पीए/त.शि/2014/689-ए दिनांक 07.10.2014

प्रतिलिपि :-

1- सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2- सचिव, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

आयुक्त-सह-संचालक

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
Indravati Bhawan, 3rd & 4th Floor, Naya Raipur (Chhattisgarh)
इंद्रावती भवन, तृतीय एवं चतुर्थ तल, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)
Phone : 0771-2331341, Fax : 0771-2331331, Website : http://www.cgdteraipur.ac.in

दिनांक 07.10.2014

क्रमांक/पीए/त.शि/2014/688
प्रति,

प्राचार्य
समस्त इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलीटेक्निक संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/लाईवलीहुड कॉलेज
छत्तीसगढ़।

विषय :- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिये विभिन्न कल्याणकारी निर्देशों को क्रियान्वयन हेतु जारी किया जाना।

संदर्भ :- 1- मुख्य सचिव महोदय का विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 29.09.2014 (छायाप्रति संलग्न)
2- छ.ग.शासन का पत्र क्रमांक एफ 6-32/2012/स.क्र./26 दिनांक 30.09.2014

-00-

विषयांतर्गत लेख है कि ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों के लिए उपलब्ध संसाधनों से निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

1- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क छात्रावास सुविधा तथा अन्य सुविधायें रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु विद्यमान योजनाओं में निहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें।
2- महाविद्यालय/संस्था में भेद-भाव निगरानी समिति का गठन किया जावे। इस समिति में ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें।
3- ट्रान्सजेंडर विद्यार्थियों का समूह बनाये, पुस्तकालयों में ट्रान्सजेंडर विषय पर पुस्तकें रखें तथा स्टॉफ एवं छात्रों को फिल्म के माध्यम से संवेदीकृत करें।
4- कैरियर गाईडेंस के लिए हेल्पलाईन बनायें।
5- व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसे कदम उठायें ताकि ट्रान्सजेंडर वर्ग समाज में अपने सम्मान एवं स्थान को पुनः प्राप्त कर सके।

आपके स्तर पर कृत कार्यवाही से 03 दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत करावें।

संलग्न :- **उपरोक्तानुसार।**

आयुक्त-सह-संचालक

दिनांक 07.10.2014

पृ.क्रमांक/पीए/त.शि/2014/688-ए
प्रतिलिपि :-

1- सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2- सचिव, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

आयुक्त-सह-संचालक

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
Indravati Bhawan, 3rd & 4th Floor, Naya Raipur (Chhattisgarh)
इंद्रावती भवन, तृतीय एवं चतुर्थ तल, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)
Phone : 0771-2331341, Fax : 0771-2331331, Website : http://www.cgdteraipur.ac.in

क्रमांक/पीए/त.शि/2014/688-बी　　　　　　　　　　　दिनांक 07.10.2014

प्रति,

प्राचार्य
समस्त फार्मेसी संस्थान/एम.बी.ए. संस्थान/एम.सी.ए. संस्थान
छत्तीसगढ़।

विषय :- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिये विभिन्न कल्याणकारी निर्देशों को क्रियान्वयन हेतु जारी किया जाना।

संदर्भ :- 1- मुख्य सचिव महोदय का विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 29.09.2014 (छायाप्रति संलग्न)
2- छ.ग.शासन का पत्र क्रमांक एफ 6-32/2012/स.क्र./26 दिनांक 30.09.2014

-00-

विषयांतर्गत लेख है कि ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों के लिए उपलब्ध संसाधनों से निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

1- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क छात्रावास सुविधा तथा अन्य सुविधायें रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु विद्यमान योजनाओं में निहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें।
2- महाविद्यालय/संस्था में भेद-भाव निगरानी समिति का गठन किया जावे। इस समिति में ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें।
3- ट्रान्सजेंडर विद्यार्थियों का समूह बनाये, पुस्तकालयों में ट्रान्सजेंडर विषय पर पुस्तकें रखें तथा स्टॉफ एवं छात्रों को फिल्म के माध्यम से संवेदीकृत करें।
4- कैरियर गाईडेंस के लिए हेल्पलाईन बनायें।
5- व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसे कदम उठायें ताकि ट्रान्सजेंडर वर्ग समाज में अपने सम्मान एवं स्थान को पुनः प्राप्त कर सके।

आपके स्तर पर कृत कार्यवाही से 03 दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

आयुक्त-सह-संचालक

पृ.क्रमांक/पीए/त.शि/2014/688-सी　　　　　　　　　　　दिनांक 07.10.2014

प्रतिलिपि :-

1- सचिव, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2- सचिव, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

आयुक्त-सह-संचालक

सयु.सचिव / उप सचिव अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
महानदी भवन, नया रायपुर
मंत्रालय

क्रमांक एफ 18–125/2014/20–दो, नया रायपुर,दिनांक 04/10/2014

प्रति,

1. संचालक,
लोक शिक्षण संचालनालय,
छत्तीसगढ़, रायपुर

2. संचालक, राज्य शैक्षिक
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
परिषद् शंकरनगर रायपुर

3. मिशन संचालक
राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा
अभियान, छत्तीसगढ़ रायपुर

4. मिशन संचालक,
राज्य कार्यालय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन,
छत्तीसगढ़, रायपुर

5. सचिव,
छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल
पेंशनबाड़ा, रायपुर ।

विषय : माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पीटिशन (सिविल) क्रमांक 400/2012 के निर्णय अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी निर्देशों का क्रियान्वयन।

संदर्भ : छ.ग. शासन मुख्य सचिव कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ 6–32/2012/स.क./26 नया रायपुर दिनांक 29.09.2014

–0–

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पालन में शासन स्तर से क्रियान्वयन के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है। दिये गये निर्देशों के कतिपय बिन्दुओं पर कार्यवाही आपके स्तर पर की जानी है। तद्क्रम में की गई अनुशंसा के पालन में निम्न कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

1. महिला एवं यौन उत्पीड़न के संबंध में, पाठ्यक्रम में संबंधित अंशों को समाहित करने के पूर्व निर्देश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् रायपुर को दिये गये थे, जिन पर आपके द्वारा कार्यवाही की जा रही है, उक्त क्रम में तृतीय लिंग संबंधी चेतना विकास एवं इन

वर्ग के बच्चों को उत्पीड़न से बचाने एवं इनके साथ सौहाद्रपूर्ण व्यवहार के लिए एक पृथक अंश के रूप में विषयवस्तु को पाठ्यपुस्तक में शामिल करने की कार्यवाही की जावें।

कार्यवाही द्वारा – राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् शंकरनगर रायपुर

2. लिंग विविधता चेतना एवं तृतीय लिंग के बच्चों को प्रतिकूल वातावरण से सुरक्षा प्रदान करने हेतु इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन वर्ग के विद्यार्थियों के समूह निर्माण, छात्रों एवं शिक्षकों में चेतना एवं विकास फिल्म प्रदर्शन के माध्यम से तथा इस विषयवस्तु पर दृश्य–श्राव्य सामग्री, पुस्तकालय, आदि की व्यवस्था के निर्देश के पालन में कार्यवाही की जावें।

कार्यवाही द्वारा – राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् शंकरनगर रायपुर

3. स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में संचालित केन्द्रीय योजनाओं जैसे एस.एस.ए. एवं आर.एम.एस.ए. अन्तर्गत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं हाईस्कूल में तृतीय लिंग से संबंधित समस्याओं को पाठ्यकम में शामिल करने हेतु शीघ्र ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये जायेगें, तदकम में निर्देश प्राप्त होने पर समस्त कार्यवाहियॉ सुनिश्चित की जावें ।

4/X/14

(एम0एन0राजूरकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठां.कमांक एफ 18–125/2014/20–दो नया रायपुर दिनांक 04/10/2014

प्रतिलिपि–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा/ आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग नया रायपुर।
2. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नया रायपुर को सूचनार्थ ।
3. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन/समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास/ आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग नया रायपुर।
4. आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग छ.ग. नया रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् शंकरनगर रायपुर ।
6. मिशन संचालक राजीव गांधी शिक्षा मिशन पेंशनबाड़ा रायपुर ।
7. मिशन संचालक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पेंशनबाड़ा रायपुर ।

4/X/14

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग

सयु.सचिव/उप सचिव अवर सचिव

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
महानदी भवन, नया रायपुर
मंत्रालय

क्रमांक एफ 18–125/2014/20–दो, नया रायपुर,दिनांक 04/10/2014

प्रति,

1. जिला कलेक्टर (समस्त)
   छत्तीसगढ़
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   छत्तीसगढ़
3. समस्त सहायक आयुक्त,
   आदिवासी विकास विभाग, छत्तीसगढ़

विषय : माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पीटिशन (सिविल) क्रमांक 400/2012 के निर्णय अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी निर्देशों का क्रियान्वयन।

संदर्भ : छ.ग. शासन मुख्य सचिव कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ 6–32/2012/स.क./26 नया रायपुर दिनांक 29.09.2014

–0–

विषयांतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तृतीय लिंग के संबंध में पारित निर्णय के अनुपालन में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं, इन निर्देशों का विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन हेतु उचित निर्देश जारी किया जावें एवं इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें :–

1. तृतीय लिंग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम अंतर्गत अन्य बच्चो की तरह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। अन्य अर्हताओं को पूर्ण करते हुए कोई भी शिक्षण संस्था तृतीय लिंग के बच्चों को प्रवेश से वंचित नहीं कर सकेगी।

2. तृतीय लिंग अन्तर्गत आने वाले बच्चों को अन्य बच्चों के समान शाला में शिक्षा के समस्त अवसर एवं सुविधाएँ, यथा निशुल्क पाठय पुस्तक, गणवेश, छात्र सुरक्षा बीमा योजना, मध्यान्ह-भोजन, आदि, प्राप्त होंगी एवं इस हेतु उनसे किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जावेगा।

3. शाला में संचालित होने वाले समस्त शैक्षणिक क्रियाकलाप एवं गतिविधियों में इनकी समान सहभागिता सुनिश्चित की जावे, जिससे अन्य बच्चों के साथ मित्रता एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण निर्मित हो सके। उनकी विशेष आवश्यकताओं एवं जरूरतों को दृष्टिगत् रखते हुए उन्हें विशेष परामर्शदाता सलाहकार के पास भेजा जा सकता है।

4. तृतीय लिंग के बच्चों के द्वारा अन्य अर्हताओं की पूर्ति होने पर और अन्य सभी वांछित योग्यता होने पर उनसे विभेद न करते हुए विद्यालय में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं कौशल आधारित शिक्षण में प्राथमिकता प्रदान की जावेगी ।

5. जिन विद्यालयों में तृतीय लिंग के बच्चे प्रवेशित है, उन विद्यालयों में शाला प्रबंध समिति यह सुनिश्चित करेगी कि इन बच्चों का उपहास न हो और न ही यह बच्चे किसी भी प्रकार से प्रताड़ित हों। ऐसे बच्चों की समस्याओं का निराकरण प्राचार्य अपने विद्यालयों के अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर करेगें।

6. तृतीय लिंग के बच्चों को यौन/लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने हेतु एवं इन बच्चों में चेतना विकास के लिए जिलों में महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किये जाने वाले केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार भेजा जा सकेगा।

7. शाला विकास समिति जन समुदाय में तृतीय लिंग के बच्चों से समान व्यवहार करने हेतु जन चेतना जागृत करने आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्देश जारी कर एक प्रति स्कूल शिक्षा विभाग को प्रेषित करें।

4/x/14

(एम0एन0राजूरकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठां.कमांक एफ 18–125/2014/20–दो
नया रायपुर दिनांक 04/10/2014

प्रतिलिपि–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा/ आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग नया रायपुर।
2. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नया रायपुर को सूचनार्थ ।
3. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन/समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास/आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग नया रायपुर।
4. आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग छ.ग. नया रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन नया रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् शंकरनगर रायपुर ।
7. मिशन संचालक राजीव गांधी शिक्षा मिशन पेंशनबाड़ा रायपुर ।
8. मिशन संचालक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पेंशनबाड़ा रायपुर ।

4/x/14

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग

सयु.सचिव/उप सचिव अवर सचिव

सचिव

(10) (37)

:: अतिआवश्यक ::

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़,
विभागाध्यक्ष भवन, नया रायपुर

क्र0-पुम/7/10/ /CID-1/14 दिनांक /10/2014

प्रति,

सचिव, / ओ0एस0डी0,
छ0ग0 शासन,
गृह (पु0) विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर।

विषय :- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी निर्देशों को कियान्वयन हेतु जारी किया जाना के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र0 -7941/1702/दो-गृह/रापुसे/2014 रायपुर दिनांक 01.10.2014

--00--

कृपया उपरोक्त विषयातर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन सिविल कमांक 400/2012 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण विरूद्ध भारत संघ व अन्य में तृतीय लिंग समुदाय के सवैधानिक अधिकारों एवं उत्थान हेतु दिशा निर्देश दिये गये हैं। उक्त संबंध में पुलिस महानिदेशक छ0ग0 के द्वारा परिपत्र क्र0-पुमु/7/10/ 49/CID-1/14 दिनांक 07/10/2014 को पालन हेतु जारी किया गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न कर पालन प्रतिवेदन सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

Sd-

हेतु - अति0 पुलिस महानिदेशक,
अअवि, पु0मु0, नया रायपुर छ0ग0

पृष्ठ0 क्र0-पुम/7/10/500 /CID-1/14 दिनांक 07/10/2014

प्रतिलिपि :-

सचिव, छ0ग0 शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर पत्र क्र0 - एफ 6-32/2012/स.क्र./26 नया रायपुर दिनांक 30 सितम्बर 2014 के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

सयु.सचिव / उप सचिव अवर सचिव

सचिव

7/10

हेतु - अति0 पुलिस महानिदेशक,
अअवि, पु0मु0, नया रायपुर छ0ग0

<u>पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़,</u>
<u>विभागाध्यक्ष भवन, नया रायपुर</u>

परिपत्र

दिनांक 15.04.2014 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 400/2012 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण विरूद्ध भारत संघ व अन्य में तृतीय लिंग समुदाय के सवैधानिक अधिकारों एवं उत्थान हेतु दिशा निर्देश दिये गये हैं। उक्त दिशा निर्देशों का समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने हेतु आदेशित किया है। उक्त दिशा निर्देशानुसार सभी पुलिस अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों के साथ उचित एवं सामान्य व्यवहार करें तथा उनसे प्राप्त शिकायत का विधि अनुसार निराकरण करें, अगर किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा तृतीय लिंग समुदाय व्यक्ति के साथ कोई ऐसा कृत किया जाता है जिससे उसके मानव अधिकारों का हनन होता है तो उसके विरूद्ध अपराधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

परिपत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति भेजें एवं परिपत्र से अपने अधीनस्थों को अवगत करावें।

हेतु - पुलिस महानिदेशक,
छत्तीसगढ़

क्र0-पुम/7/10/499 /CID-1/14

दिनांक 07/10/2014

प्रतिलिपि :-

01. अति0 पुलिस महानिदेशक, छ0स0बल0/नक्स0अप0/प्रशिक्षण, पु0मु0, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
02. अति0 पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, पु0मु0, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
03. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, रेंज छ0ग0 रेल सहित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ।

04. समस्त पुलिस अधीक्षक, छ0ग0 रेल सहित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ।

05. समस्त सेनानी, छ0स0बल0, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ।

06. समस्त पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण शाला छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7/X/14

(आर0सी0 श्रीवास्तव)
अति0 पुलिस महानिदेशक,
अअवि, पु0मु0, नया रायपुर छ0ग0

(11) 40

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक/पंचा./एम.डी.जी./ 89 /2014 रायपुर, दिनांक 01/10/2014

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़
2. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
जिला पंचायत–छत्तीसगढ़
3. **समस्त परियोजना निदेशक**
डी.आर.डी.ए., छत्तीसगढ़

विषय :– **माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी निर्देशों को कियान्वयन हेतु जारी किया जाना।**

संदर्भ :– **जनहित याचिका (सिविल) (कमांक) 400 /2012 एवं जनहित याचिका (सिविल) (कमांक) 604/2013 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 15/04/2014 ।**

★ ★ ★

विषयांतर्गत लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 15 अप्रैल 2014 को तृतीय लिंग समुदाय के लोगों को विशेष पहचान देने एवं उनके विकास हेतु कल्याणकारी कार्यों, सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा एवं संविधान द्वारा प्रदत्त मानवअधिकारों के संरक्षण हेतु ऐतिहासिक निर्णय दिया गया । इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रति वेबसाइट (http://judis.nic.in/supremecourt/imgs1.aspx?filename=41411) पर उपलब्ध है ।

उपरोक्त आदेश के पैरा 129 के माध्यम से केन्द्रीय एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों को संबंधित कार्य सौंपे गये हैं । इसी तारतम्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया एवं उक्त समिति द्वारा भारत सरकार को अनुशेसा सौंपी गई जिसका पालन राज्य सरकार एवं संबंधित विभाग द्वारा किया जाना है तथा राज्य शासन द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर तक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित कार्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

- महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) अंतर्गत तृतीय लिंग के व्यक्तियों को लाभ दिया जाना है ।

2nd Copy Dispatch 1/10/2014

- आजीविका मिशन अंतर्गत तृतीय लिंग के व्यक्तियों को लाभ दिया जाए एवं स्व–सहायता समूह बनाकर आजीविका मिशन के कार्यों से जोड़ा जाए ।
- इंदिरा आवास योजना अंतर्गत तृतीय लिंग के व्यक्तियों को आवास प्रदाय किया जाए । इस हेतु यदि तृतीय लिंग के व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे हैं तो उन्हें प्राथमिकता दिया जाना है।
- शासन की ओर से संचालित कार्यक्रमों/उपक्रमों में तृतीय लिंग के व्यक्तियों के non-discriminatory रूप से जुड़ने एवं महिला/पुरूष के लिए प्रावधानित समान लाभ लेने हेतु व्यवस्था किया जाए ताकि लिंग आधारित भेदभाव समाप्त किया जा सके ।
- तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु पृथक शौचालय के निर्माण हेतु कार्यवाही किया जाना है । सार्वजनिक स्थलों/भवनों में तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु आवश्यकता का आंकलन कर पृथक शौचालय, कमरे इत्यादि के निर्माण कराने हेतु कार्ययोजना प्रेषित करें । इसके लिए स्वच्छ पंचायत सप्ताह में विशेष स्वच्छता ग्राम सभा के माध्यम से स्वच्छता हेतु बनाई जाने वाली कार्ययोजना में सम्मिलित कर प्रस्ताव बनाकर अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें ।
- ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण हेतु गठित स्थायी समिति द्वारा तृतीय लिंग के विकास हेतु किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा की जाए एवं सामान्य सभा द्वारा समय–समय पर विशेष समीक्षा की जाए एवं ग्राम सभा में चर्चा हो ।

उपरोक्त कार्यों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास लाया जा सकेगा । अतः आपसे अपेक्षित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तृतीय लिंग के व्यक्तियों के विकास हेतु उपरोक्त कार्य बिन्दुओं पर कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें ।

1/10/15

(एम.के.राउत)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(42)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 13–5/2014/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 4/10/2014

प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़.

विषय :– तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के उत्थान के संबंध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) क्रमांक 400/2012 विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 के अनुपालन हेतु भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के उत्थान हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये जाते है :–

(i) शासन के सभी विभागों/निगमों/मण्डलों/आयोगों/शासकीय संस्थाओं/सार्वजनिक उपकमों के अधीन उनके सरकारी दस्तावेजों में सेक्स (Sex) के स्थान पर लिंग (Gender) निर्दिष्ट किया जाए। तथा 'पुरूष', 'महिला' के अतिरिक्त 'तृतीय लिंग' वर्ग का भी विकल्प दिया जाए।

(ii) यदि कोई प्रारूप/प्रपत्र किसी विधि द्वारा निर्धारित किया गया हो तो उक्त नियमों में संशोधन भी कर लिया जावे।

(iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों को जारी परिचय–पत्र सभी कार्यालयों द्वारा मान्य किया जाए।

2/ कृपया उपरोक्त निर्णयों का अनुपालन कड़ाई से करना सुनिश्चित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डी.डी. सिंह) 6/10/14
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कमशः ..2

(15)

पृ.क.एफ 13–5/2014/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 4/10/2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़, नया रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट, रायपुर।
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर।
7. सचिव, समस्त आयोग/निगम/मंडल, छत्तीसगढ़।
8. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
9. मान0 मंत्रीगण के विशेष सहायक/निज सचिव, छत्तीसगढ़, नया रायपुर।
10. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, नया रायपुर।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
12. आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
13. संचालक, जनसंपर्क, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
14. संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
15. संचालक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर।
16. सचिव,छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर।
17. संचालक,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र मंत्रालय, नया रायपुर, की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट **http://cg.nic.in/gad** पर अपलोड हेतु।

की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

04/10/14

(एम.आर.ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(13) (44) Speed-post

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक /1190/2014/16 रायपुर दिनांक 27/05/14

प्रति,

(1) श्रमायुक्त,
श्रमायुक्त कार्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

(2) संचालक,
कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें,
रायपुर (छ.ग.)

(3) प्रभारी पंजीयक,
राज्य औद्योगिक न्यायालय,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :— रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी, विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य।

———00———

उपरोक्त विषयान्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 6—32/2012/सक/26, दिनांक 19.05.2014 की छायाप्रति संलग्न है।

कृपया उक्त के संबंध में निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कर तत्काल इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

(एन.डी. कुंदानी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 939/1190/2014/16 रायपुर दिनांक 27/05/14

प्रतिलिपि :- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर पत्र दिनांक 19.05.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

(45)

छत्तीसगढ़ शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 3501/3137/2014/19/न्या. नया रायपुर, दिनांक 07/10/2014

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)।

विषय : **माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए पृथक से शौचालय की व्यवस्था किये जाने बावत्।**

संदर्भः आपका पत्र क्रमांक एफ 6–32/2012/सक/26, दिनांक 19.05.2014.

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2014 के संबंध में विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 3500/3137/2014/19/न्या., दिनांक 07.10.2014 एवं प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 46016000/कार्य/2014, दिनांक 04.10.2014 की छायाप्रति संलग्न कर पालन प्रतिवेदन पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अग्रेषित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

7/10/14

(सी.तिर्की)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग

56/166

छत्तीसगढ़ शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 3500/3137/2014/19/न्या. नया रायपुर, दिनांक 07/10/2014

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता,
   लेक निर्माण विभाग,
   रायपुर(छ.ग.)।

2. समस्त मुख्य अभियंता,
   लोक निर्माण विभाग,
   ....(छ.ग.)।

3. समस्त अधीक्षण अभियंता,
   लोक निर्माण विभाग,
   ....(छ.ग.)।

विषय : माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए पृथक से शौचालय की व्यवस्था किये जाने बावत्।

—00—

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2014 के पालन में, मेडिकल कॉलेज अस्पताल तथा जिला अस्पताल में तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए पृथक से शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

7/10/14

(सी.तिर्की)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग

E:\Manjhi\Letter.doc

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, सिरपुर भवन रायपुर (छ.ग.)

(पी ग्र 28)

क्र. प्र.अ. /कार्य/2014 रायपुर, दिनांक /10/2014

प्रति,

1. **समस्त मुख्य अभियंता,**
   लोक निर्माण विभाग,
   .... परिक्षेत्र
2. **समस्त अधीक्षण अभियंता,**
   लोक निर्माण विभाग,
   ....मण्डल
3. **समस्त कार्यपालन अभियंता,**
   लोक निर्माण विभाग,
   .... संभाग

विषय :— **माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए पृथक से शौचालय की व्यवस्था किये जाने बाबत्।**

संदर्भ :— छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का पत्र कमांक 3475/3137/2014/19/न्या. दिनॉक 01/10/2014

000

माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनॉक 15/4/2014 द्वारा निर्देश दिया गया है कि तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए पृथक से शौचालय की व्यवस्था की जानी है । इस संबंध में निर्देश दिये जाते हैं कि:-

1. लोक निर्माण विभाग द्वारा जिन भवनों के नवीन प्राक्कलन प्रस्तुत किये जाने हैं उन सभी भवनों के प्राक्कलन में तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए पृथक शौचालय का प्रावधान करें।
2. समस्त गैर आवासीय भवनों में तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए पृथक से शौचालय का प्रावधान हेतु एम.ओ डब्लू. के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(हस्ताक्षर)
मुख्य अभियंता (यो)
कार्या.प्र.अ.लो.नि.वि.
रायपुर

पृ.क. 4601600 /कार्य/2014 रायपुर,दिनॉक 4/10/2014

प्रतिलिपि :—

प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन लोक निर्माण विभाग महानदी भवन नया रायपुर की ओर शासन के पत्र कमांक 3475/3137/2014/19/न्या, दिनॉक 1/10/2014 के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 4/10
मुख्य अभियंता (यो)
कार्या.प्र.अ.लो.नि.वि.
रायपुर

सहपत्र:— 0

45

(48)

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:::मंत्रालय:::
महानदी भवन, नया रायपुर,492002

कमांक एफ 27–8/टी0एल0/2014/नौ/17–3 नया रायपुर, दिनांक

प्रति,

1. अधिष्ठाता,
   चिकित्सा महाविद्यालय सिम्स, बिलासपुर/रायपुर/जगदलपुर/रायगढ़/राजनांदगाँव
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   समस्त जिला–छ0ग0।
3. सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक
   समस्त जिला–छ0ग0।

विषयः– माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी निर्देशों को जारी कर क्रियान्वयन किये जाने विषयक ।

–00–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा अनुसार प्रदेश के समस्त चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निम्नांकित स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें:–

1. चिकित्सालय के कर्मियों को तृतीय लिंग समुदाय के प्रति सकारात्मक व्यवहार एवं निष्पक्षता से स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु चिकित्सकीय स्टॉफ का तृतीय लिंग समुदाय के समस्त विषयों को समाहित करते हुए, संवेदीकरण एवं प्रशिक्षण आयोजित करें।
2. तृतीय लिंग समुदाय के लिए चिकित्सालयों में तृतीय लिंग समुदाय हेतु पृथक से शौचालय की सुविधा प्रदाय करें, जिससे कि तृतीय लिंग समुदाय अधिकाधिक रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकें एवं स्वास्थ्य तथा गुणवत्ता–युक्त जीवन यापन कर सकें ।

(मरियानुस तिग्गा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

16
49

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:::मंत्रालय:::
महानदी भवन, नया रायपुर,492002

कमांक एफ 27–8/टी0एल0/2014/नौ/17–3 नया रायपुर, दिनांक

प्रति,

अधिष्ठाता,
पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय,
रायपुर –छत्तीसगढ़

विषयः– माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुरूप तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी निर्देशों को जारी कर क्रियान्वयन किये जाने विषयक ।

–00–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा अनुसार प्रदेश के पं. जवाहर लाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में तृतीय लिंग समुदाय हेतु लिंग परिवर्तन की सुविधा प्रदाय किया जाना है।

इस हेतु Gender Change Centre में SRS (Sex Reasignment Surgery) की सुविधा विकसित किया जाना है। जिसके अंतर्गत तृतीय लिंग समुदाय की आवश्यकता के अनुसार शल्यक्रिया की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके ताकि तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्ति निर्भयता पूर्वक उक्त स्वास्थ्य सुविधा का भी लाभ लेते हुए गुणवत्तायुक्त जीवन निर्वाह कर सकें।

1. **शल्यक्रिया सुविधा** – Male to Female/ female to male Trans Gender People को शल्य क्रिया की सुविधा जैसे– A. M t F – Penectomy, Orchidectomy, Neovegina आदि ।
   B.F t M – Mastectomy, Hystectomy, Oophorectomy आदि ।
2. **गैर शल्यक्रिया सुविधा** – जैसे– Female Hormone/ Male Hormone Therapy/ Vocal Therapy आदि की सुविधा उपलब्ध हो ।

उक्त सेंटर हेतु आवश्यक योग्य मानव संसाधन, उपकरण आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

(मरियानुस तिग्गा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(87)
(80)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 6–95/2014/न्या.प्र./38–2/2014 नया रायपुर, दिनांक 9.10.2014

प्रति,

1. कुलसचिव
   समस्त विश्वविद्यालय (छ.ग.)

2. प्राचार्य
   समस्त महाविद्यालय (छ.ग.)

विषयः– **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) क्र. 400/2012 में पारित निर्णय के क्रियान्वयन बावत।**

संदर्भः– छ.ग.शासन, मुख्य सचिव कार्यालय का पत्र क्रम. एफ 6–32/2012/स.क./26 दि. 29.9.2014.

—00—

कृपया विषयांकित प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 का अवलोकन वेबसाईट http://judis.nic.in/supremecourt/imgs1.aspx?filename =41411 पर करने का कष्ट करें।

उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपकी संस्था में अध्ययनरत तृतीय लिंग के विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए तथा उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जावे। आवश्यकतानुसार इनके हितों की सुरक्षा एवं सरंक्षण हेतु भेदभाव विरोधी प्रकोष्ठ का गठन किया जावे, जिसके द्वारा सतत् निगरानी रखी जावे।

कृपया इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(डॉ. अशोक पाण्डे)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नया रायपुर, दिनांक 9.10.2014

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 6–95/2014/न्या.प्र./38–2/2014
प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय, मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय
2. अवर सचिव, मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय
3. सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय/समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास / आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास /स्कूल शिक्षा विभाग, नया रायपुर
4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, नया रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
6. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

(51)

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2014

क्र एफ 6–32/2012/स.क./26 राज्य शासन एतद् द्वारा तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के पहचान एवं कल्याणकारी योजनाओं के कियान्वयन हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन करता है:–

1.	कलेक्टर/ अपर कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
3.	एक सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
4.	तृतीय लिंग वर्ग के दो प्रतिनिधि	सदस्य
5.	एक मनोवैज्ञानिक/ (स्थानीय तौर पर उपलब्ध)	सदस्य
6.	संयुक्त संचालक/उप संचालक, समाज कल्याण	सदस्य सचिव

2/ उपरोक्त समिति जिला स्तर पर तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों को प्रमाणपत्र/पहचान पत्र जारी करेगी। यह प्रमाण पत्र सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए जैसे राशनकार्ड, पासपोर्ट, आधारकार्ड एवं जन्म प्रमाणपत्र इत्यादि के लिए (तृतीय लिंग वर्ग विशेष हेतु) मान्य होगा।

3/ समिति की बैठक आवश्यकतानुसार कलेक्टर के द्वारा आयोजित की जा सकेगी।

4/ यह आदेश समन्वय में सक्षम अनुमोदन उपरांत जारी किया जा रहा है। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(दिनेश श्रीवास्तव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

पृ.क एफ 6–32/2012/स.क./26 नया रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2014

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजभवन, रायपुर (छ.ग.),
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, नया रायपुर,
3. निज सहायक, माननीय मंत्रीगण (समस्त), छत्तीसगढ़ शासन, नया रायपुर,
4. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली,
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त/गृह/विधि/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/उच्च शिक्षा/स्कूल शिक्षा/महिला एवं बाल विकास/जनशक्ति नियोजन एवं रोजगार/समाज कल्याण, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर,
6. संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, रायपुर (छ.ग.),
7. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़,
8. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)
9. समस्त कलेक्टर (छ.ग.)
10. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, रायपुर (छ.ग.)
11. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, समाज कल्याण (छ.ग.)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1290
22.10.14

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

DD(SW)
9
22.10.14

21 OCT 2014

(53)

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्र एफ 6–32/2012/स.क./26 नया रायपुर, दिनांक 2014

प्रति,

प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
जनसंपर्क विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर

विषयः— तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु जन जागरूकता लाने संबंधी।
संदर्भः— माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रं. 400/2012 में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देश।

—

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 400/2012 के परिपेक्ष्य में 15 अप्रैल, 2014 को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है, जिसमें तृतीय लिंग वर्ग की दयनीय स्थिति को सुधारने, समाज में उचित स्थान दिलाने एवं शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निर्देश जारी किये गये है।

2/ उपर्युक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के सुझावों को निर्णय के परिपेक्ष्य में परीक्षण करते हुए छः माह के अन्दर क्रियान्वित करने के निर्देश दिये है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2014 तक क्रियान्वयन की जानकारी चाही गई है।

3/ तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्ति स्वयं को समाज का अभिन्न अंग महसूस करें और किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों का शिकार न हो, इस हेतु जनजागरण पैदा किया जाना अत्यंत अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस संबंध में सघन जनजागरण अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है।

4/ हमारा यह अनुरोध है कि जनसंपर्क विभाग के माध्यम से तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का न केवल प्रचार प्रसार किया जाए बल्कि संभाग एवं जिला मुख्यालयों पर ऐसे होर्डिंग भी लगाए जाएं जिससे तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना पैदा हो सके।

कृपया इस संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराएं।

सं.प्र. (b.क.)
9
1.10.14

(दिनेश श्रीवास्तव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

पृ.क एफ 6–32/2012/स.क./26 **नया रायपुर, दिनांक** 01-10- **2014**
प्रतिलिपिः

1. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, समाज कल्याण, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01-10-14

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

55

समाज कल्याण संचालनालय छत्तीसगढ़
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक/स.क./प.शा./324/2014/2165 रायपुर, दिनांक 28/11/2014

प्रति,

समस्त कलेक्टर
(छत्तीसगढ़)

विषय :— तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों को प्रमाण पत्र/पहचान पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ :— सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय नया रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ 6—32/2012/स.क./26 दिनांक 17.10.2014

——::00::——

कृपया संदर्भित आदेश का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के पहचान एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति अन्तर्गत जिला स्तर पर तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों को प्रमाण—पत्र/पहचान पत्र आवश्यक जांच के उपरान्त जारी करेगी। (प्रारूप संलग्न है)

यह प्रमाण—पत्र सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि के लिए (तृतीय लिंग वर्ग विशेष हेतु) मान्य होगा।

कृपया संदर्भित आदेशानुसार जिला स्तरीय समिति के गठन में अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति कर जिले में तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों की जानकारी अद्यतन करते हुए ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु एक प्रभावकारी कार्ययोजना बना कर इस संचालनालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

C.R.P. 27/11

(डॉ. सी.आर.प्रसन्ना)
संचालक
समाज कल्याण संचालनालय
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/स.क./प.शा./324/2014/2166 रायपुर, दिनांक 28/11/14

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को सूचनार्थ।
2. समस्त संयुक्त/उप—संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ। उपर्युक्त अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

C.R.P. 27/11

संचालक
समाज कल्याण संचालनालय
छत्तीसगढ़

57

प्रथम पृष्ठ :—

तृतीय लिंग व्यक्ति के लिए परिचय पत्र

नाम :—
पिता/गुरु का नाम :—
जन्म तिथि :—
तृतीय लिंग का प्रकार :—
रक्त समूह :—
मो. नं. :—
:—

अध्यक्ष
जिला स्तरीय समिति
(तृतीय लिंग कल्याणार्थ)
जिला — (छ.ग.)

द्वितीय पृष्ठ :—

पता :— ______________________
____
____

निर्देश :—

1. यह प्रमाण—पत्र सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि के लिए (तृतीय लिंग वर्ग विशेष हेतु) मान्य होगा।
2. परिचय—पत्र की सुरक्षा का उत्तरदायित्व धारित व्यक्ति का होगा।
3. परिचय—पत्र खो जाने पर तत्काल समीपस्थ पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराये एवं एफ.आई.आर. की छायाप्रति के साथ जिला कार्यालय समाज कल्याण को लिखित रूप सूचित करे।

(57)

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 04 अक्टूबर, 2014.

कमांक एफ 7–1/2014/स.क./26, : राज्य शासन एतद् द्वारा तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय कर विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए निम्नानुसार "तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड" का गठन करता है:–

1.	मान. मंत्री, समाज कल्याण, छ.ग. शासन	– अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग,	– सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, विधि विभाग	– सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग	– सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	– सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	– सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग	– सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	– सदस्य
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, जनशक्ति नियोजन एवं रोजगार विभाग	– सदस्य
10.	सचिव, समाज कल्याण विभाग	– सदस्य
11	संचालक/अपर संचालक समाज कल्याण	–सदस्य सचिव
12.	तृतीय लिंग वर्ग के चार तथा स्वयं सेवी संस्था का एक प्रतिनिधि	–अशासकीय सदस्यगण

<u>2. बोर्ड का निम्नानुसार दायित्व होगा :–</u>

2.1 बोर्ड अन्तर विभागीय समन्वय कर योजनाओं का लाभ दिलायेगा।

2.2 बोर्ड इस वर्ग की सामाजिक सुरक्षा एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य एवं आय वृद्धि के बिन्दुओं पर जोर देगा।

2.3 बोर्ड एक एजेन्सी के रूप में इस वर्ग के लिये आवश्यकतानुसार विधिवत योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन कर सकेगा।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

04-X-14
(दिनेश श्रीवास्तव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

(15)

58

पृ.क्रमांक एफ 7–1/2014/स.क./26, नया रायपुर, दिनांक 04 अक्टूबर 2014.

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजभवन, रायपुर (छ.ग.),
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, नया रायपुर,
3. निज सहायक, माननीय मंत्रीगण (समस्त), छत्तीसगढ़ शासन, नया रायपुर,
4. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली,
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त/गृह/विधि/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/उच्च शिक्षा/स्कूल शिक्षा/महिला एवं बाल विकास/जनशक्ति नियोजन एवं रोजगार/समाज कल्याण, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर,
6. श्री अरविन्द पी. मई, शासकीय अधिवक्ता, मा. सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली,
7. संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, रायपुर (छ.ग.),
8. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़,
9. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)
10. समस्त कलेक्टर (छ.ग.)
11. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, रायपुर (छ.ग.)
12. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, समाज कल्याण (छ.ग.)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

04-X-14

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

समाज कल्याण विभाग

59

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
—00—

क्रमांक एफ 7–1/2014/सक/26, नया रायपुर, दिनांक 02.12.2014
प्रति,

1.	अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
2.	अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, विधि विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
5.	सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
6.	सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
7.	सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
8.	सचिव, जनशक्ति नियोजन एवं रोजगार प्रशिक्षण विभाग	सदस्य
9.	सचिव, समाज कल्याण विभाग	सदस्य
10.	संचालक, समाज कल्याण	सदस्य सचिव
11.	सुश्री विकास राजपूत, स्वयंसेवी संस्था मितवा की प्रतिनिधि	अशासकीय सदस्य
12.	सुश्री रवीना, तृतीय लिंग वर्ग की प्रतिनिधि	अशासकीय सदस्य

विषय :– **तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड की प्रथम बैठक का आयोजन बाबत्।**
संदर्भ :– इस विभाग का आदेश क्रमांक एफ 7–1/2014/सक/26, दिनांक 04.10.2014।

—00—

कृपया उपरोक्त संदर्भित आदेश का अवलोकन करेंगे।

2/ तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड की प्रथम बैठक का आयोजन माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 06.12.2014 को अपरान्ह 03.00 बजे, मंत्रालय के कक्ष क्रमांक एस 2–12 समिति कक्ष में किया जाना प्रस्तावित है।

3/ कृपया आपकी उपस्थिति हेतु अनुरोध है।

संलग्न :– यथोपरि।

(पी.डी. दोहरे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

क्रमांक एफ 7–1/2014/सक/26, नया रायपुर, दिनांक .12.2014
प्रतिलिपि,

निज सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण विभाग, की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

(60)

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

—00—

//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 02 .12.2014

क्रमांक एफ 7–1/2014/सक/26 :: राज्य शासन एतद् द्वारा तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय कर विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए गठित तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड के बिन्दु क्रमांक 12 के संबंध में तृतीय लिंग वर्ग एवं स्वयंसेवी संस्था से निम्न सदस्यों का मनोनयन किया जाता है :–

01. सुश्री विकास राजपूत, स्वयंसेवी संस्था मितवा की प्रतिनिधि –सदस्य
02. सुश्री रवीना, तृतीय लिंग वर्ग की प्रतिनिधि –सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(पी.डी. दोहरे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

क्रमांक एफ 7–1/2014/सक/26, नया रायपुर, दिनांक 02 .12.2014

प्रतिलिपि,

1. निज सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण विभाग, की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. सुश्री विकास राजपूत की ओर सूचनार्थ।
4. सुश्री रवीना की ओर सूचनार्थ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

D.D.(S.W.)
9
9.12.14
5/12/14